न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— 96 /2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रेवतराम पुत्र श्री बाबुराम 2. भगाराम पुत्र श्री बाबुराम 3. राजुराम पुत्र श्री बाबुराम 4. जगदीशराम पुत्र श्री बाबुराम 5. राधा पत्नी श्री बाबुराम जातियान मेघवाल निवासी सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		1. गोरधनराम पुत्र श्री बीजाराम 2. जोगाराम पुत्र श्री पुराराम 3. केसाराम पुत्र श्री पुराराम 4. धीराराम पुत्र श्री पुराराम 5. तुलछी पत्नी श्री जोगाराम 6. चम्पा पत्नी श्री केसाराम जाति मेघवाल निवासी सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। 7. श्रीमान् तहसीलदार, ओसियां।

प्रार्थीगण अधिवक्ताः— श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थीगण अधिवक्ताः— श्री जसवन्तसिंह चौहान।

—:निर्णयः—

दिनांक 6/8/19

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :— प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2809 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा मौजा ग्राम सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के उत्तर पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809/1 रकबा 3 बीघा व 2809/2 रकबा 22 बीघा ग्राम सिरमण्डी आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य की सीमा पर पौराणिक माठ कायम है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने—अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि पर कब्जा व काश्त चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि व अप्रार्थीगण के मध्य विद्यमान पौराणिक माठ को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तब प्रार्थीगण द्वारा पैमाईश बाबत् एक प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार ओसियां के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ओसियां द्वारा आदेश क्रमांक/सीमांकन रजिस्टर पृष्ठ संख्या 6 क्रम संख्या 89 दिनांक 12.04.2016 को पारित किया गया। उपरोक्त आदेश की अनुपालना में हल्का पटवारी सिरमण्डी दिनांक 20.07.2016 को मौके पर पहुंचकर मीमो ट्रेस की सहायता से सीमांकन कार्य करना शुरू किया तथा

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में 43 बीघा 09 बिस्वा दर्ज है उसी अनुसार सीमांकन नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर प्रार्थीगण का झुठा 35 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा बताकर फर्द तैयार कर दी जबकि प्रार्थीगण का अपनी 43 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा उस भूमि पर कब्जा नहीं मानने का कोई उल्लेख फर्द में नहीं किया है। इस प्रकार मौके पर स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809 व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809/1 व 2809/2 की नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी द्वारा अलग तरमीम नहीं की है जबकि मौके पर अपनी–अपनी भूमि पर लगातार काबिज चले आ रहे है हल्का पटवारी द्वारा इन तीनों खसरान की भूमि को छोड़कर इसी खसरा नम्बर के बट्टा नम्बर 2809/3, 2809/4, 2809/8, 2809/9, 2809/10 की अलग से नक्शा ट्रेस में तरमीम की जा चुकी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर तरमीम नक्शा ट्रेश में नहीं की है। जबकि यह तरमीम भी की जानी आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने उक्त तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को कई बार निवेदन किया लेकिन उक्त तरमीम नहीं की गई तथा उक्त सीमांकन फर्द में भी तरमीम का एतराज भी हल्का पटवारी ने लिखा है। सीमांकन हेतु तरमीम का कोई विवाद नहीं है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन किया जा सकता था। इस प्रकार हल्का पटवारी ने अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर सीमांकन नहीं किया गया है तथा अप्रार्थीगण बिना किसी कारण के मौके पर सीमा विवाद कर रहे है जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थरगढी आदेश से ही किया जाना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा तथा अप्रार्थीगण की भूमि 2809/1 व 2809/2 के मध्य की सीमा पर तहसीलदार ओसियां से टीम गठित करवाई जाकर पूर्ण रूप से सीमांकन कार्य किया जाकर पत्थर गढी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तथा नक्शा ट्रेश में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार ओसियां को दिया जावें पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद दिलवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण अधिवक्ता जसवन्तसिंह चौहान ने जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपित्तया प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के कब्जे से भूमि कम नहीं करने हेतु निवेदन है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रारम्भिक आपत्तिया व जवाब रेकर्ड पर लिया जाकर अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तिया व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809 रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2809/1 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 2809/2 रकबा 22 बीघा ग्राम सिरमण्डी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर व खसरा नम्बर 2809 के अन्य बट्टा नम्बर की भूमि का भी सीमाज्ञान कर राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जाकर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी की जावे तथा अप्रार्थीगण की भूमि रकबे व कब्जे से कम नहीं की जावें तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया जावें। आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक....6/8/19...... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner